न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – पीयुष समारिया (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
023/2021 (रे.अ.) (GCMS 2021/478)	29.11.2023	19.09.2023

अनवान

1. मगनीराम पिता प्यारचंद जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी शम्भुपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. भंवरलाल पिता मांगीलाल जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी शम्भुपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. चुन्नीलाल पिता मांगीलाल जाति डांगी उम्र वयस्क निवासी शम्भुपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

प्रत्यर्थी

उपस्थिति :– रतन कुमावत — अपीलार्थी
भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता) — प्रत्यर्थी

विरूद्ध बनाराजगी एवं निर्णय आदेश दिनांक 30.09.2021 प्रकरण संख्या 514/2021 एल.आर. एक्ट अनवानी पटवार हल्का शम्भुपुरा बनाम मगनीराम वगैराह

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध प्रत्यर्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण का ग्राम शम्भूपुरा पटवार हल्का शम्भूपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ के आराजी नम्बर 351, 348/671 किस्म बिलानाम रकबा 0.20 हैक्टेयर व 0.20 हैक्टेयर कुलिया 0.40 हैक्टेयर पर पुश्तैनी रुप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजीयात अपीलार्थीगण को विरासत पुश्तैनी रूप से मिली हैं, जिसकी रसीदे भी अपीलार्थीगण के पास हैं। अपीलार्थीगण का उक्त आराजीयात पर व्यवस्थित व स्थापित कब्जा हैं जो कि पुश्तैनी रूप से हैं। जिसका निर्बाध रूप से उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है जो विगत 50–60 वर्षो से है। इसलिए अपीलार्थीगण ने सरकार व अन्य के विरुद्ध बेदखली के विरुद्ध बेहतर अधिकार अर्जित कर लिया है। इसलिए अपीलार्थीगण उक्त आराजीयात को नियमन में खातेदारी में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्राप्त करने के राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम व राजस्थान टिनेन्सी सरकारी नियम 1955 के तहत नियमन के अधिकारी है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण के 50–60 वर्ष के पुश्तैनी कब्जे को दरकिनार किया है अपीलार्थीगण ने एवं उनके पूर्वजों ने काफी अंग मेहनत से उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया आबाद किया मेड बंदी की तथा काली मिट्टी डलवायी एवं उक्त आराजीयात पर पुश्तैनी मकान में निवास कर रहे हैं। उक्त एक मात्र ही अपीलार्थीगण का 50–60 वर्ष पुराना पुश्तैनी मकान उक्त आराजीयात में स्थित है। जिससे अपीलार्थीगण ने सरकारी नियमों एवं अधिनियमों के कल्याणकारी उपबंधों के तहत नियमन एवं आवन्टन के पात्र है। इसलिए अपीलार्थीगण ने पुश्तैनी व्यवस्थित कब्जे के आधार पर सरकार एवं अन्य के विरुद्ध बेहतर स्वत्व खातेदारी अधिकार एवं मकान के पट्टे अधिकार अर्जित कर लिये है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के बेदखली आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्ती योग्य है एवं अपीलार्थीगण नियमन आवन्टन व पट्टा प्राप्ति के अधिकारी घोषित किये जाकर अपीलार्थीगण को आवन्टन नियमन व पट्टा दिलाये जाने के अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित फरमाया जाना न्यायोचित है। अंत में प्रार्थना की गई कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अविवेकीय त्रुटिपूर्ण निर्णय आदेश को खारीज फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थीगण नियमन आवन्टन व पट्टा प्राप्ति के अधिकारी घोषित किये जाकर अपीलार्थीगण को आवन्टन नियमन व पट्टा दिलाये जाने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान फरमाया जावे।

इस पर अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। प्रत्यर्थी की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/राजस्व/2021/1690 दिनांक 14.12.2021 से से उनकी मूल पत्रावली संख्या 514/2021 निर्णय दिनांक 30.09.2021 अनवानी सरकार बनाम मगनीराम पिता प्यारचन्द डांगी निवासी शम्भुपुरा वगैराह अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि रिकार्ड पर होकर पत्रावली के हम किता है। दिनांक 19.09.2023 को राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण में सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया। इस पर उभयपक्ष की सहमति से स्थगन प्रार्थना–पत्र पर कार्यवाही ड्रॉप कर प्रकरण को सीधे बहस पत्रावली हेतु रखा गया।

दिनांक 19.09.2023 को अधिवक्ता अपीलार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना–पत्र एवं गुणावगुण पर उभयपक्ष को सुना गया। अधिवक्ता अपीलार्थी ने मियाद प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि प्रकरण में प्रार्थी/अपीलार्थी को दिनांक 30.09.2021 के निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी। उक्त प्रकरण में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 23.11.2021 को हल्का पटवारी शम्भुपुरा ने निर्णय होने की जानकारी दी उसी दिन न्यायालय तहसीलदार के यहां आकर प्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

को पता लगाया तो निर्णय होने की जानकारी हुई उसी दिन नकल आवेदन प्रस्तुत किया तथा प्रतिलिपि दिनांक 23.11.2021 को प्राप्त हुई और प्रतिलिपि प्राप्त होते ही बिना किसी देरी के के अपील प्रस्तुत की गई। इसलिये अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई जिसे क्षम्य किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया और अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेखों पर दृष्टिपात कराया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जाकर बाद तामील नियमानुसार निर्णय पारित किया गया हैं, अपीलार्थी/अप्रार्थी को नोटिस का तामील होने से प्रकरण की जानकारी हो चुकी थी, एवं अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.09.2021 को अपीलार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित रहे एवं अतिक्रमण करना स्वीकार किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि पूर्वक निर्णय पारित किया, ऐसी स्थिति में जानकारी होने के बावजूद अपीलार्थीगण द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई जिस से अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर खारीज फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने बताया कि अपीलार्थी ने अपीलार्थी का अपील उद्देश्य व्यर्थ हो जायेगा और अपीलार्थीगण के विरुद्ध बेदखली कार्यवाही होने से भारी परेशानी बढ़ जायेगी जिससे भी अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को क्षम्य किया जाना न्यायोचित हैं। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र समाप्त की।

हमने पत्रावली को अवलोकन किया। मियाद प्रार्थना–पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस मियाद प्रार्थना–पत्र का मनन किया। प्रकरण में मियाद के साथ–साथ गुणावगुण पर भी देखा जाना उचित प्रतीत होता हैं, अतः प्रार्थना–पत्र के निर्णय को रिवर्ज करते हुये पत्रावली को गुणावगुण पर सुनने के आदेश दिये गये।

इस पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अपीलार्थीगण का ग्राम शम्भूपुरा पटवार हल्का शम्भूपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ के आराजी नम्बर 351, 348/671 किस्म बिलानाम रकबा 0.20 हैक्टेयर व 0.20 हैक्टेयर कुलिया 0.40 हैक्टेयर पर पुश्तैनी रुप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजीयात अपीलार्थीगण को विरासत पुश्तैनी रूप से मिली है, जिसकी रसीदे भी अपीलार्थीगण के पास है। अपीलार्थीगण का उक्त आराजीयात पर व्यवस्थित व स्थापित कब्जा हैं जो कि पुश्तैनी रूप से है। जिसका निर्बाध रूप से उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं जो विगत 50–60 वर्षो से है। इसलिए अपीलार्थीगण ने सरकार व अन्य के विरुद्ध बेदखली के विरुद्ध बेहतर अधिकार अर्जित कर लिया है। इसलिए अपीलार्थीगण उक्त आराजीयात को नियमन में खातेदारी में प्राप्त करने के राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम व राजस्थान टिनेन्सी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सरकारी नियम 1955 के तहत नियमन के अधिकारी है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

इसके जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजीयात किस्म चरागाह दर्ज अभिलिखित है एवं अपीलांट का कब्जा चरागाह भूमि पर होने से नियमन की पात्रता नहीं रखता है, जिससे अपीलांट की अपील सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है। प्रचलित नियमों के अनुसार चरागाह की भूमि आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। चरागाह की भूमि पशुओं की चराई के लिये आरक्षित होती है, जिस पर अतिक्रमण पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। इसके साथ ही अपीलांट द्वारा स्वयं अपने अपील मेमों में आराजीयात जैरबहस पर अपना अतिक्रमण स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। अतः तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है, एवं प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का निवेदन की ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण के 50-60 वर्ष के पुश्तैनी कब्जे को दरकिनार किया है अपीलार्थीगण ने एवं उनके पूर्वजों ने काफी अंग मेहनत से उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया आबाद किया मेड बंदी की तथा काली मिट्टी डलवायी एवं उक्त आराजीयात पर पुश्तैनी मकान में निवास कर रहे है। उक्त एक मात्र ही अपीलार्थीगण का 50-60 वर्ष पुराना पुश्तैनी मकान उक्त आराजीयात में स्थित है। जिससे अपीलार्थीगण ने सरकारी नियमों एवं अधिनियमों के कल्याणकारी उपबंधों के तहत नियमन एवं आवन्टन के पात्र है। इसलिए अपीलार्थीगण ने पुश्तैनी व्यवस्थित कब्जे के आधार पर सरकार एवं अन्य के विरुद्ध बेहतर स्वत्व खातेदारी अधिकार एवं मकान के पट्टे अधिकार अर्जित कर लिये है। इसलिए तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के बेदखली का निर्णय आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में प्रार्थना की गई कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अपीलार्थी को नियमन का अधिकारी घोषित किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के त्रुटिपूर्ण बेदखली आदेश निरस्त फरमाये जावे एवं पत्रावली नियमन हेतु निर्देशित फरमायी जावें। इसी ईश्तुदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का बागौर अवलोकन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। हमने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का अवलोकन किया। अधिनियम में धारा 91 के तहत व्यवस्था की गई है कि :-

91 Unauthorlsed occupation of Land - (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful monthly shall be regarded as a trespasser and may be

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

summarily evicted there from by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed, and [69][any crop standing, or any} building or other construction erected. or anything deposited on such land shall, if not removed with in such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of [1][in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases] as the Collector may direct:

Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.

[1][(2) Such trespasser shall further be liable to pay, for 'each agricultural year during the whole or any part where of has been in such unauthorized occupation of the land, a penalty which may extend to fifty times the annual rent, or assessment, as the case may be, for the first act of trespass. In the case of each subsequent ad of trespass, he shall by the order of Tehsildar, be liable to commitment to civic person for a term which may extend to three months and to pay penalty to the extent as aforesaid. The amount of such penalty shall be recovered as an arrear of land revenue, and]

[1][(3) Where the trespasser ordered to be committed to civil prison under subsection (2) satisfies the Tehsildar by whom he is ordered to be committed to civil prison that he intends to present an appeal, the Tehsildar shall order that such trespasser be released on his own bond for such periods will afford him sufficient time present the appeal and obtain stay order from the Appellate Court and such order shall so long as he is so released on bond be deemed to be suspended]

(4) In any of the following cases, namely.-

(i) where the trespasser does neither vacate the land not make appearance in response to the notice issue under sub-section (3), or

(ii) where in response to such notice, the trespasser does not vacate the land and makes appearance but-

(a) does not show any such cause, or

(b) makes any representation which is rejected after such inquiry and hearing as may be necessary in the circumstances of the case, the Tehsildar shall, unless, in the case covered by clause (ii) the trespasser under-takes to vacate the land within a week's time- and vacates it whine such time order the removal of the trespasser from such land and shall remove or depute any person, to remove him therefrom and take possession thereof; and if the Tehsildar or the person so deputed is opposed or !impeded in taking possession of such land, the Tehsildar shall apply to a Magistrate having jurisdiction and such Magistrate shall enforce the surrender of the land to the Tehsildar.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Tehsildar may, in case any such land belongs to the category specified in clause (ii) of the proviso to Section 97, sell it, with the approval of the Sub-Divisional Officer, to the trespasser upon payment by him of the premium therefor at the rate fixed under Section 96 and applicable to such land in addition to the assessment and penalty recoverable from him under sub-section (2) in respect of the whole period of unlawful occupation

[1][(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) - (a) whoever occupies any land without lawful authority or, having occupied such land before corning into force of the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 1992, fails to remove such occupation within fifteen days from the date of service of a notice in writing calling upon him to do so by the Tehs!Idar shall, on convich`on, be punished with simple imprison- ment which shall not be less than one month but which may extend to three years and with fine which'may extend to twenty thousand rupees; and

(b) whoever, being an employee of the State Government specifically entrusted by an order of the Collector in writing with the duty to stop or prevent an offence punishable under this sub-section wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop of

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

prevent such offence, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both :
Provided that, in the case of an offence under clause (a), the court may for any adequate or special reason to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than one month :
Provided also that no investigation of an offence under clause (a) of this sub section shall be made by an officer below the rank of a Deputy Superintendent of Police :
Provided further that no court shall take cognizance of an offence under clause (b) except with the previous sanction of the Collector.

अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/ परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। भूमि चरागाह दर्ज होने से पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करके बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया। चारागाह भूमि गांव के मवेशी चराने की भूमि होती है, इस पर अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान में चरागाह दर्ज रिकार्ड है जिस पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया गया एवं अपीलांट द्वारा आराजीयात जैरबहस पर अपना अतिक्रमण होना अपील मेमों में अंकित किया गया है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा 50–60 वर्षों से कब्जे का तथ्य उठाया गया है। इस संबंध में पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलार्थी की और से प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके साथ अपीलार्थी द्वारा इस तथ्य को भी उठाया गया है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस संबंध में हमारा ठोस अभिमत है कि अपीलार्थी विधि के प्रावधानों के तहत दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता था, किन्तु अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में किसी भी प्रकार से कोई कब्जे के संबंध में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजीयात पर अपीलार्थीगण का किसी भी प्रकार से हक हिस्सा निहित नहीं होना प्रमाणित पाया जाता है। इसके साथ ही वर्तमान परिस्थितियों में प्रश्नगत आराजीयात चरागाह दर्ज रिकार्ड है जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा अतिक्रमण किया गया है, विवादित आराजीयात चरागाह दर्ज रेकार्ड है एवं चरागाह पर किसी भी प्रकार से अतिक्रमण को प्रोत्साहन दिया जाना उचित नहीं है। हमने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ से प्राप्त अभिलेख का बागौर अवलोकन, परिशीलन/परीक्षण किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.09.2021 का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण को जारी नोटिस का गहनता पूर्वक अवलोकन किया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर नियमानुसार निर्णय पारित किया जाना प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.09.2021 विधि सम्मत होकर इसमे किसी प्रकार के संशोधन एवं हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है, एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.09.2021 संपुष्ट किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हस्तगत प्रकरण में मियाद प्रार्थना–पत्र पर निर्णय पारित किया जाना शेष है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपील मेमों के साथ प्रस्तुत दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.09.2021 अपीलार्थी संख्या 1 की उपस्थिति में पारित किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलार्थी संख्या 1 को अधीनस्थ न्यायालय के फर्द अहकाम से प्रमाणित पाई जाती है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी प्रस्तुती में विलम्ब को क्षम्य किये जाने का कोई ठोस आधार अपीलार्थी पत्रावली पर प्रस्तुत करने में पूर्णतया असफल रहे जिससे अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर पोषणीय नहीं पाई जाती है। इसके साथ ही उपरांकित विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलार्थी गुणावगुण पर भी खारीज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन राजस्व अपील प्रकरण संख्या 023/2021(रा.अ.) अनवानी मगनीराम वगैराह बनाम सरकार अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर एवं गुणावगुण (दोनों) पर बलहीन होकर सारहीन होने से खारीज की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय प्रकरण संख्या 514/2021 निर्णय दिनांक 30.09.2021 अनवानी सरकार बनाम मगनीराम वगैराह को यथावत रखा जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 30.09.2021 की पुष्टि की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **19.09.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official